न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

Mutation Revision No.-01/2025
with
Mutation Revision No.-02/2025

महेन्द्र प्रसाद
बनाम्
उदय शंकर प्रसाद

–: आदेश :–

11.03.2025

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी महेन्द्र प्रसाद पिता–स्व0 महाबीर साव, सा0–धर्मपुर, पो0+थाना+जिला–लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–69/2023 में दिनांक 08.10.2024 एवं 70/2023 में दिनांक–09.10.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण वाद दाखिल करने में विलम्ब के लिए Limitation Act की धारा–5 का आवेदन दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई के पश्चात् स्वीकृत किया गया तथा आवेदक द्वारा दाखिल पुनरीक्षण वाद को सुनवाई के बिन्दु पर अंगीकृत करते हुए पक्षकारों को स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् उभय पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित जवाब/प्रतिउत्तर एवं राजस्व दस्तावेज दाखिल किया गया।

सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता, निरंजन प्रकाश मल्लान एवं अन्य तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह द्वारा विस्तृत तर्कों के साथ पक्ष रखा गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर एवं बहस में निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया।

1. अपीलार्थी द्वारा हाल सर्वे खतियानी रैयत के कानूनी उत्तराधिकारी बसारत हुसैन पिता–स्व0 एम बरासत हुसैन से निबंधित केवाला

संख्या–104 दिनांक 03.02.2023 से मौजा–चन्दवा के खाता सं0–400 प्लॉट संख्या–4 रकबा–6.5 डी0, प्लॅट सं0–6 रकबा–31.00 डी0 एवं निबंधित केवाला संख्या–485 दिनांक 06.03.2023 से मौजा–चन्दवा के खाता सं0–400 प्लॉट संख्या–4 रकबा–6.5 डी0 तथा प्लॅट सं0–6 रकबा–31.00 डी0 भूमि क्रय किया है। उक्त भूमि का हाल सर्वे खतियान शेख रहमत अली पे0–शेख जमीवत अली के नाम पर प्रकाशित है।

2. शेख रहमत अली पे0–शेख जमीवत अली का मृत्यु हो गई तथा उनके दोनों पुत्र सौहार्दपूर्ण ढंग से उक्त भूमि का बटवारा कर लिए। बटवारे के बाद वादग्रस्त भूमि बरसात हुसैन को हिस्से में प्राप्त हुई।

3. बरसात हुसैन की मृत्यु होने के बाद उनके दोनों पुत्र सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने पिता की सम्पति को बटवारा कर लिए। बटवारे के बाद यह भूमि मो0 बसारत हुसैन के हिस्से में आ गई तथा भूमि पर दखल–कब्जा का उपयोग करने लगे। बसारत हुसैन कानूनन उत्तराधिकारी एवं भूमि के मालिक होने के हैसियत से निबंधित केवाला संख्या–104 दिनांक 03.02.2023 से मौजा–चन्दवा के खाता सं0–400 प्लॉट संख्या–4 रकबा–6.5 डी0, प्लॅट सं0–6 रकबा–31.00 डी0 एवं निबंधित केवाला संख्या–485 दिनांक 06.03.2023 से मौजा–चन्दवा के खाता सं0–400 प्लॉट संख्या–4 रकबा–6.5 डी0 तथा प्लॅट सं0–6 रकबा–31.00 डी0 भूमि आवेदक महेन्द्र प्रसाद पिता–महावीर सा0 निवासी ग्राम–धर्मपुर, लातेहार द्वारा क्रय करने के बाद भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में आ गए।

4. आवेदक खरीदगी भूमि को सरकारी शेरिस्ता में अपने नाम से जमाबंदी कायम कराकर सरकार को लगान राशि देने के लिए अंचल अधिकारी, चन्दवा के समक्ष भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसका दाखिल–खारिज वाद संख्या–598R27 / 2022–23 एवं 694R27 / 2022–23 पंजीकृत किया गया। आवेदक के नाम से भूमि के दाखिल

अ.

खारिज करने में आम इस्तेहार निर्गत कर आम ग्रामीणों/जनता से आपत्ति की मांग किया गया, जिसके विरूद्ध निर्धारित समय सीमा की समाप्ति तक किसी व्यक्ति द्वारा (विपक्षी सहित) कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया तत्पश्चात् कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा पर अंचल अधिकारी चन्दवा द्वारा उक्त दोनों दाखिल-खारिज वाद को आवेदक के पक्ष में स्वीकृति दी गयी। आवेदक के नाम पर ऑनलाईन शुद्धि पत्र तैयार कर Volume-13 Page-53 में दर्ज किया गया, जिसके बाद अपीलार्थी अपना सम्पति का लगान राशि राज्य सरकार को अदा करके लगान रसीद प्राप्त करने लगे। विपक्षी की जानकारी में उक्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा चाहरदिवारी का निर्माण किया गया, जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा कभी भी आपत्ति नहीं किया गया।

5. अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा के दाखिल-खारिज वाद संख्या-598R27/2022-23 एवं 694R27/2022-23 में दिनांक 05.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में दिनांक 13.10.2023 को दाखिल-खारिज अपील वाद सं0-69/2023 एवं 70/2023 दायर किया गया।

यहां इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी द्वारा वाद में प्रश्नागत भूमि को दिनांक 06.03.2023 को खरीदा गया था। अंचल अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का दाखिल-खारिज में दिनांक 05.04.2023 को आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा क्रय भूमि पर दाखिल-खारिज के आदेश पारित होने के पूर्व चाहरदिवारी निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। विपक्षी को आवेदक के दाखिल-खारिज एवं चाहरदिवारी निर्माण कार्य की पूर्ण जानकारी रहने के बावजूद Bihar Tanants Holding (Mutation of Record) Act 1973 की धारा-15 के तहत् अपील दायर करने की समय-सीमा समाप्ति के संदर्भ में Limitation Act की धारा-5 में झूठा एवं मनगढ़ंत तथ्यों को अंकित कर

दाखिल–खारिज अपील वाद दायर किया गया।

6. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा मामले की सुनवाई में कानून और तथ्य में गलत दृष्टिकोण अपनाते हुए दिनांक 08.10.2024 को आदेश पारित करते हुए अंचल अधिकारी, चन्दवा के दाखिल–खारिज वाद संख्या–598R27 /2022–23 एवं 694R27/2022–23 को निरस्त कर दिया गया तथा विपक्षी के अपील को स्वीकृत कर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तत्कालीन उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 257/रा0 दिनांक 29.03.2011 से निर्गत पत्र, झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 के दफा 4(h) की प्रति, राजस्व विभागीय पत्रांक 5/स0भू0को0 (अवैध हस्तांतरण) 123/2016–2861(5) /रा0 दिनांक 08.06.2017 की प्रति, अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 551 दिनांक 10.07.2024 की प्रति, अंचल अमीन चन्दवा द्वारा गत सर्वे से हाल सर्वे में परिवर्तित प्लॉट का नक्शा की प्रति, ऑनलाईन पंजी–II की प्रति, थाना प्रभारी, चन्दवा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को प्रेषित पत्र की प्रति, अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा अपीलार्थी को दी गयी पंजी–II की सूचना की प्रति, झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(C) No.-6250, 6253, 6275, 6277, 6281, 6283 of 2016 एवं 2007 (3)JLJR विश्वनाथ राम एवं अन्य बनाम् मसो0–लगनवास कुंवर एवं अन्य में पारित आदेश की प्रति तथा हाल सर्वे खतियान की प्रति प्रस्तुत करते हुए वाद में तथ्यात्मक पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा दोनों निबंधित केवाला से क्रय भूमि का नामान्तरण करने के पूर्व अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा राजस्व दस्तावेजों एवं भूमि का भौतिक सत्यापन किया गया है।

7. लतेहार जिला में हाल सर्वे खतियान के आधार पर राजस्व कार्य के निष्पादन के लिए तत्कालीन उपायुक्त, लातेहार द्वारा पत्रांक 257/रा0 दिनांक 29.03.2011 से सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है। विपक्षी को दिनांक 10.05.1946 को सदा हुकुमनामा प्राप्त है, जबकि भूमि

सुधार अधिनियम 1950 वर्णित दफा 4(h) में स्पष्ट है कि 01.01.1946 के बाद जारी हुकुमनामा संदेहास्पद है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक 5/स0भू0को0 (अवैध हस्तांतरण) 123/2016–2861(5)/रा0 दिनांक 08.06.2017 द्वारा भी 01.01.1946 के बाद निर्गत निबंधित विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा को संदेहास्पद माना गया है। अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा जांचोपरान्त पत्रांक 551 दिनांक 10.07.2024 एवं थाना प्रभारी चन्दवा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को प्रतिवेदन भेजा गया है, जो अपीलार्थी का भूमि पर जोत–कोड को दर्शाता है। अंचल अमीन चन्दवा के नक्शा में गत सर्वे प्लॉट सं0–2 का हाल सर्वे प्लॉट सं0–4, 5, 6 दर्शाया गया है। विपक्षी शिवप्रसाद साह पिता–बलदेव साह का अलग खतियान तैयार किया गया है, जिसका खाता सं0–502 प्लॉट सं0–5, 7, 8 एवं 9 है।

8. झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(C) No.-6250, 6253, 6275, 6277, 6281, 6283 of 2016 में आदेश पारित किया गया है कि अगर विक्रेता का लगान रसीद निर्गत हो रहा है, तो क्रेता को राजस्व लगान रसीद हर हाल में अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

9. झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 2007 (3)JLJR विश्वनाथ राम एवं अन्य बनाम् मसो0–लगनवास कुंवर एवं अन्य वर्णित है कि Indian Evidence Act. 1872 Section 3-rent receipts issued by Karamchari and register-II maintained by Circle Officer are strong evidence of possession.

10. छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–83(2) के अन्तर्गत मौजा–चन्दवा के खाता संख्या–400, प्लॉट संख्या–4 एवं 6 का स्वत्व अभिलेख शेख रहमत अली पिता–शेख जमीयत अली के नाम से गठित एवं दिनांक 04.02.1993 को प्रकाशित है, जो विक्रेता के पूर्वज है।

11. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा कानून और तथ्य में गलत दृष्टिकोण अपनाते हुए दाखिल–खारिज वाद संख्या–598R27

/2022–23 एवं 694R27/2022–23 के आदेश को निरस्त किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–69/2023 में दिनांक 08.10.2024 एवं 70/2023 में दिनांक–09.10.2024 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर एवं बहस में निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया।

1. अपीलार्थी के दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद में विपक्षीगण के खिलाफ कोई पर्याप्त तथ्य नहीं है। उनके द्वारा कानून के प्रक्रिया का दुरूपयोग करके यह वाद दायर किया गया है, जो सी0पी0सी0 के आदेश–7 नियम–11 के तहत् भारी दण्ड के साथ खारिज करने योग्य है।
2. अपीलार्थी स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में नहीं आया है, बल्कि वे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर इस न्यायालय में आये है। अपीलार्थी अवांछित मुकदमेबाजी के माध्यम से विपक्षीगण को शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न एवं वित्तीय हानि की अपूर्णीय क्षति पहुंचाना चाहते है। इनके द्वारा दायर वाद झूठे, मनगढ़ंत दस्तावेज एवं मनगढ़ंत कहानी पर आधारित है। उनके द्वारा BTHM Act 1973 के तहत् निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत यह वाद दायर नहीं किया गया है। इसलिए ये राहत के हकदार नहीं है तथा खारिज करने योग्य है।
3. वादग्रस्त भूमि के पूर्व भू–स्वामी श्री बड़ा लाल कन्दरप नाथ शाहदेव निवासी ग्राम–गढ़ उपरपाट, पालकोट, थाना– पालकोट, जिला–रांची (मालिक मौजा–चन्दवा) द्वारा गत सर्वे खाता सं0–03, प्लॉट सं0–02, रकबा–0.50 ए0 भूमि बालदेव साव, पिता–स्व0 हिरा साव निवासी ग्राम–चन्दवा, परागना, टोरी, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार को दिनांक 10.05.1946 को सादा हुकुमनामा के माध्यम से बन्दोबस्त किया एवं दखल–कब्जा दे दिया। दखल–कब्जा प्राप्त करने के बाद बालदेव साव

उक्त भूमि पर अपने हक–अधिकार तथा स्वामित्व का प्रयोग करते हुए सरकार को लगान देकर 2014 तक लगान रसीद प्राप्त किये। रामगुलाम साव रकबा–36 डी0 भूमि विपक्षी के पिता–बालदेव साव को निबंधित केवाला संख्या–2 से दिनांक 19.03.1955 को दिये, जिसके दखल–कब्जा में आ गये।

4. हाल सर्वे में गत सर्वे खाता सं0–03 प्लॉट संख्या–2 का हाल सर्वे खाता सं0–400, प्लॉट सं0–04 रकबा–0.13 ए0 एवं प्लॉट सं0–06, रकबा–0.64 ए0 का विपक्षी के दस्तावेजों एवं कब्जा को सत्यापन किए बगैर अवैध रूप से शेख रहमत अली, पिता–जमीवत अली, ग्राम–चन्दवा, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार के नाम से खतियान तैयार कर प्रकाशित किया गया तथा ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत किया गया।

5. वादग्रस्त भूमि का रखवाला कल्याण सिंह द्वारा चन्दवा थाना में प्राथमिकी संख्या–84/2024 दर्ज करया गया, जिसपर अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में CRPC की धारा–144 के तहत् विविध वाद संख्या–577/2023 की कार्यवाही भी प्रारम्भ की गयी थी और एक Writ Petition (Civil) No.-5704 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया गया है।

6. रहमत अली के वंशजों का हाल सर्वे प्राधिकार के साथ मिली भगत से वादग्रस्त भूमि का अपने नाम पर स्वत्व अभिलेख गठित करा लिया, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा उक्त त्रुटि को पकड़ लिया गया तथा अंचल अधिकारी, चन्दवा के गैर कानूनी दाखिल खारिज वाद संख्या–598R27/2022–23 एवं 694R27/2022–23 के पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया।

7. सदा हुकुमनामा के संबंध में P.L.J.R. 1968 में कहा गया है कि "Sada Hukumnama coupled with rent receipt or ever an oral settlement

coupled with rent receipt would confer good title"

8. गत सर्वे मांग पंजी–II में खाता संख्या–3 एवं 7 का जमाबंदी बलदेव साव के नाम पर था। उनके मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। अपीलार्थी द्वारा केवल हाल सर्वे खतियान में नाम के आधार पर उक्त भूमि पर स्वामित्व का दावा करने का वैद्य आधार नहीं है।

9. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा J.C.J. 2020 (1) में निर्णय दिया गया है कि "If khatiyan is being made on another person name inadvertently it is immaterial to the ownership of the genuine owner who has genuine and valid right, interest and possession because the khatiyan can be corrected if found any irregularity"

10. Settlement vase no. 4183 of 1993 में न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया है कि विपक्षी उक्त भूमि का वास्तविक भू–स्वामी है तथा भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा है।

11. झारखण्ड सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या–438 दिनांक 31.10.2019 से हाल सर्वे खतियान के विसंगतियों के बारे में अधिसूचित करते हुए लातेहार जिला में पुनः सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है।

12. अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को विविध वाद संख्या–577/2023 में अपना जांच प्रतिवेदन भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि गत सर्वे मांग पंजी–II में दाखिल–खारिज वाद संख्या–417/3 एवं 112/2 से बलदेव साहू के नाम पर जमाबंदी तथा स्थानीय लोगों से पुछ–ताछ में वाद ग्रस्त भूमि पर बाउड्री गेट सहित खपरैल घर है। अपीलार्थी द्वारा गलत, आधारहीन एवं तर्कहीन तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जो भारी लागत के साथ निरस्त करने योग्य है। उक्त आलोक में पुनरीक्षण वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया।

1. मौजा–चंदवा के गत सर्वे खाता संख्या–03 प्लॉट संख्या–02 का हाल सर्वे खाता संख्या–400 प्लॉट नं0–04 रकबा–0.13 एकड़ एवं प्लॉट सं0–06 रकबा–0.64 एकड़ का खतियान शेख रहमत अली पे0–शेख जमीवत अली निवासी निज ग्राम के नाम पर प्रकाशित है। उक्त प्रकाशित खतियान के विरूद्ध विपक्षी द्वारा U/S 87 of CNT के तहत् राजस्व वाद सं0–4138/93 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–15.06.2009 को आदेश पारित किया कि मौजा–चंदवा के खाता संख्या–400 प्लॉट नं0–04 रकबा–0.13 एकड़ एवं प्लॉट सं0–06 रकबा–0.50 एकड़ का खाता एवं खतियान हस्तक्षेपी वादी उदय शंकर प्रसाद साहू वो गोपाल साहू वो धीरज साहू पिता–स्व0 बलदेव साहू वो संजय कुमार साहू वो राहुल कुमार साहू पिता–स्व0 शिव प्रसाद साहू निवासी चन्दवा अंचल–चन्दवा, जिला–लातेहार के नाम से दर्ज समझा जाय।
2. अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 551 दिनांक 10.07.2024 जो अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लातेहार को प्रेषित है। उक्त पत्र के साथ संलग्न राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन की कंडिका–2 में अंकित किया गया है कि C.S. मांग पंजी–II के जमाबंदी संख्या–417/3 में Mutation Case No.-24/1964–65 से रैयत श्री बालदेव साहू पिता–हीर साहू के नाम से खाता संख्या–3 प्लॉट संख्या–2, रकबा–0.36 एकड़ वो खाता संख्या–7 प्लॉट संख्या–16 रकबा–0.13 एकड़ कुल रकबा–0.49 एकड़ भूमि का जमाबंदी दर्ज पाया गया। ओभर राईटिंग कर खाता संख्या–3 प्लॉट नं0–2 रकबा–0.30 एकड़ वो खाता संख्या–7 प्लॉट नं0–16 रकबा–0.63 एकड़ कुल रकबा–0.93 एकड़ बनाया हुआ दर्ज पाया गया। इसी प्रकार अन्य C.S. मांग पंजी–II के जमाबंदी संख्या–112/2 में रैयत बलदेव साहू

पिता–हीरा साहु के नाम से खाता संख्या–3 प्लॉट नं0–2 रकबा–0.30 एकड़ एवं खाता संख्या–7 प्लॉट नं0–16, रकबा–0.63 एकड़ कुल रकबा–0.93 एकड़ भूमि का जमाबंदी दर्ज पाया गया।

इस प्रकार C.S. मांग पंजी–II में विपक्षी के पूर्वज के नाम पर जमाबंदी चलने की पुष्टि होता है।

3. W.P(C)No. 5704/2024 में दिनांक 28.11.2024 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है। सहायक निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पत्रांक 1227 दिनांक 07.03.2025 से भी प्रतिवेदित किया गया है कि W.P(C)No. 5704/2024 में दिनांक 28.11.2024 के आदेश प्रभावी रहेगा।

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा W.P(C)No. 5704/2024 में दिये गये निर्देश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, चन्दवा एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by UTKARSH GUPTA
Date: 2025.05.14 15:30:09 +05:30
Location: 192.168.137.1